भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/54/2021/एफ0 सी0/509   दिनांकः 24/08/2021

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ़–नाटाडोल मोटर मार्ग से सैम मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.547 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/15502/2015)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 296/FP/UK/ROAD/15502/2015 दिनांक 31-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 31/03/2021 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन करने के उपरान्त निम्नलिखित कमियां संज्ञान में आयी है, जिनका निवारण राज्य सरकार से अपेक्षित हैः–

1. राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह लाभान्वित होने वाले समस्त habitation को के0एम0एल0 फाईल पर अंकित करें। साथ ही habitation की existing मार्ग से दूरी एवं elevation, slope, इत्यादि का ब्यौरा भी प्रस्तुत करें।
2. के0एम0एल0 फाईल के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि मार्ग को सही से नहीं दर्शाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सही प्रस्तावित समरेखण को के0एम0एल0 फाईल पर अंकित कर आनलाईन पैरा C (ii) पार्ट-I में अपलोड करें।
3. राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह फलों, सब्ज़ियों एवं अन्य cash crops जो कि उक्त क्षेत्र में उत्पादित होते है उनका ब्यौरा तथा क्षेत्र के लोगों का involvement, कुल लाभ इत्यादि को संज्ञान में लेते हुये facts के साथ मार्ग का औचित्य प्रस्तुत करें।
4. राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मन्दिर पर tourist flow का ब्यौरा तथा मन्दिर की existing मार्ग से दूरी की जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

5. राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह यह स्पष्ट करें कि क्या लाभान्वित होने वाले ग्राम एक ही ग्राम सभा के अन्तर्गत आते है? तथा इस क्षेत्र के समीपस्थ बाजार, सरकारी विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र इज्यादि की क्या स्थिति है, तथा इनकी स्थिति के0एम0एल0 फाईल पर अंकित करने का कष्ट करें। साथ ही उक्त सभी की existing road से दूरी की भी जानकारी प्रस्तुत करें।

6. प्रस्ताव में 38 वृक्षों का पातन दर्शाया गया है जिनमें से 9 saplings है किन्तु यह सम्भवतः 9 मीटर चौड़ाई पर enumerate किये गये प्रतीत होते है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह 7 मीटर चौड़ाई पर वृक्षों की गणना की सूची प्रेषित करें।

7. राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह वर्तमान में cash crops के transportation में आने वाली औसतन लागत, समय इत्यादि का संज्ञान लेते हुये मार्ग निर्माण से होने वाली बचत के सन्दर्भ में analysis कर विस्तृत जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

24/08/22

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)